INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान EO & RO

REVENUE OFFICER (2nd Grade) & EXECUTIVE OFFICER (4th Grade)

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम।

हंस वाहिनी समायुक्त मां विद्या दान करोतु में ॐ।।

भाग – 3

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम – 2009, 1974 + योजनायें + राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"RPSC Executive Officer / Revenue Officer"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"RPSC Executive Officer / Revenue Officer"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम	
1.	अधिनियम - 2009	1
2.	नगरपालिकाओं का गठन और शासन	6
3.	कार्य संचालन और वार्ड समिति	13
4.	नगरपालिका सम्पत्ति	17
5.	नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि	20
6.	नगरपालिका राजस्व	23
7.	नगरीय विकास और नगर योजना	30
8.	नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध	44
9.	अभियोजन, वाद आदि	69
10.	नियंत्रण	71
11.	राजस्थान नगरपालिका	76
12.	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम -2009	86
13.	राजस्थान नगरपालिका	89
14.	राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं	91
	अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न	102
	राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	
1.	राज्यपाल	111
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	116
3.	राजस्थान विधानसभा	123
4.	उच्च न्यायालय	130
5.	जिला प्रशासन	136
6.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	140
7.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	147
8.	राज्य मानवाधिकार आयोग	149
9.	लोकायुक्त	151
10.	राज्य निर्वाचन आयोग	153
11.	राज्य सूचना आयोग	155
12.	लोकनीति	157

13.	विधिक अधिकार	159
14.	नागरिक अधिकार - पत्र (घोषणा पत्र)	160
15.	राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011	162

राजस्थान नगरपालिका

अध्याय – 1

अधिनियम – 2009

संक्षिप्त नाम, प्रसार, और प्रारम्भ(धारा-1) –
(1)अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 है।
(2) इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं(धारा-2)– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "**संपरीक्षक**"- राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(ii) "पिछड़े वर्ग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें;

(iii) "**तुलनपत्र**" से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया।

(iv) "**जीव-चिकित्सा अपशिष्ट**"
कोई ऐसा अपशिष्ट जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जीव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है।

और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
(क) मानव शारीरिक अपशिष्ट
(ख) पशु अपशिष्ट
(ग) सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट;
(घ) अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र
(ङ) फेंकी गयी औषधें और कोशिका आविष औषधियां;
(च) ठोस अपशिष्ट
(छ) द्रव अपशिष्ट
(ज) भस्मक राख;
(झ) रासायनिक अपशिष्ट;

(v) "पुल" में पुलिया सम्मिलित है;

(vi) "**बजट प्राक्कलन**" से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है

(vii) "**बजट अनुदान**" से किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत् शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से या में अन्तरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गयी बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है

(viii) "**भवन-निर्माता**" या "**विकासकर्ता**" से ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई काम्प्लेक्स संनिर्मित किया है

(ix) "**भवन**" से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से संनिर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है और इसमें नींव, प्लिन्थ, दीवारें, फर्शें, छतें, चिमनियां, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकनियां, कार्निसें या प्रक्षिप्त भाग या किसी भवन का कोई भाग या उससे संलग्न कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आशयित कोई भी दीवार (तीन मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर), चिह्न या बाह्य अभिव्यक्ति संरचना सम्मिलित है किन्तु इसमें कोई तम्बू, शामियाना या तिरपाल-आश्रय सम्मिलित नहीं है।

(x) "**भवन-स्थल**" से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है;

(xi) "**उप-विधि**" से इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी उप-विधियां अभिप्रेत हैं;

"अध्यक्ष"
(क) नगरपालिक बोर्ड के मामले में अध्यक्ष
(ख) नगरपरिषद् के मामले में सभापति
(ग) नगर निगम के मामले में महापौर

"मुख्य नगरपालिक अधिकारी"
(क)नगर निगम के मामले में- मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त
(ख) नगर परिषद् के मामले में- आयुक्त

(xiv) "**पूर्ण दिवस**" से, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाये, रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं किन्तु उस व्यक्ति द्वारा, जिसे नोटिस सम्बोधित किया गया है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है

(xv) "**काम्प्लेक्स**" से वाणिज्यिक उपयोग के मामले में पच्चीस या अधिक इकाइयों, और आवासीय उपयोग के मामले में

दस या अधिक इकाइयों, से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है।

(xvi) "निगम-पार्षद" से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है।

(xvii) "पार्षद" से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

(xviii) **"डेयरी"(धारा -251)** कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गोशाला, दुग्ध भंडार, दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है–

(क) जिससे विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है, या

(ख) जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है, या जो- मक्खन, या घी, या पनीर, या दही, या शुष्क, विसंक्रमित, संघनित या टोन्ड दूध, के विक्रय के लिए विनिर्माण या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है ।

किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है:-

(i) कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है, या

(ii) कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का पारवहित रूप से बंद और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय या आपूर्ति की जाती है, जिसमें वह ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ था;

(xix) **"खतरनाक रोग"** से अभिप्रेत है:-

(क) हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सुषुम्नावरण-शोथ, डिफ्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लूएन्जा, मस्तिष्क कला शोथ, पोलियो या उपदंश; या

(ख) कोई भी अन्य महामारी, स्थानिकमारी या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे;

(xx) "पार्किंग स्थान में की न्यूनता" से किन्हीं भी गैर-आवासीय भवनों, जिनमें काम्प्लेक्स और संस्थागत भवन, चाहे वे अप्राधिकृत रूप से या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हों, सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनायी गयी उप-विधियों के अधीन यथा-अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने में रखी गयी न्यूनता अभिप्रेत है;

(xxi) **"निदेशक, स्थानीय निकाय"** से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक, स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में, या किसी अन्य पदनाम से, पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(xxii) **"व्ययन"** से भूतल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है ।

ठोस अपशिष्टों (Municipal Solid Wastes) के निपटान और अंतिम व्ययन- धारा 229

(xxiii) "जिला मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xxiv) **"नाली"** से मलनाली, पाईप, खाई, जलसरणी या कोई अन्य युक्ति जिससे गंदा पानी, मल तथा दूषित जल, वर्षा जल या अधोमुदा जल का वहन हो और साथ ही उससे संलग्न शौचालय पात्र, ट्रेप, सिंक, हौज, फ्लश टैंक तथा अन्य फिटिंग सम्मिलित हैं;

(xxv) धारा 55 - प्रत्येक नगरपालिका के लिए धारा 55 के तहत एक अनिवार्य कार्यपालक समिति का प्रावधान होता है।

(xxvi) "वित्त आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ या 243(i)के अधीन गठन का प्रावधान

(xxvii) **"वित्तीय विवरण"** से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(xxix) **"अग्निशमन संपत्ति"** से निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

धारा 256: "नगरपालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव
धारा 257: अग्निशमन दल और अन्य अधिकारियों की विशेष शक्तियां

(क) अग्निशमन केन्द्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन;

(ख) अग्निशमन इंजन, उपस्कर, औजार, हाईड्रेन्ट, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वे कुछ भी हों;

(ग) अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त संचारण और परिवहन के अन्य साधन;

(घ) वर्दियां और रैंक के बैज;

(xxx) "अग्निशमन केन्द्र" से राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन केन्द्र के रूप में साधारणतया रूप से घोषित की गयी कोई चौकी या स्थान

अध्याय - 5

नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि

धारा -76. राज्य वित्त आयोग :-

(1) राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और -

(क)

I. राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों, और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के जो राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित किये जायें, उनके बीच वितरण को और सभी स्तरों की नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के उनके भाग के आवंटन को;

II. ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारणा को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी।

III. राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के सहायता - अनुदान को ;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में ; और

(ग) नगरपालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी भी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश, उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधान - मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

धारा-77. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

(क) करों, शुल्कों, पथकरों, और फीसों, के शुद्ध आगमों का नगरपालिकाओं को ब्यानान्तरण,

(ख) करों, शुल्कों पथकरों और फीसों का नगरपालिकाओं को समनुदेशन,

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता - अनुदान की मंजूरी और

(घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य अध्युपायों, का अवधारण करेगी।

धारा -78. राज्य सरकार से वित्तीय सहायता:-

1. राज्य सरकार समय - समय पर नगरपालिका अनुदान / वित्तीय सहायता
2. राज्यसरकार कोई स्कीम जारी करेगी, विशिष्ट शर्तों सहित अनुदान
3. राज्य सरकार नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम के सम्पूर्ण या भागत: क्रियान्वयन के लिए अनुदान।

- **धारा -79. नगरपालिका निधि :-** नगरपालिका के नाम से एक निधि होगी जिसे नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ब्यानत: धारित किया जायेगा।
- ऐसे निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय ऐसे लेखा शीर्षों, जिसमें जलविकास और मल-वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क विकास और रख रखाव, गंदी बस्ती सेवाएं वाणिज्यिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं , और अन्य लेखा शीर्षों जो विहित किये जायें, तथा साधारण लेखा शीर्ष, के अन्तर्गत ऐसी रीति से, और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जायें, रखे जायेंगे, ताकि इस अधिनियम के अधीन उपयोक्ता प्रभारों का अधिरोपण और किसी भी सहायकी प्रतिपूर्ति की तैयारी सुकर हो सके ।

<u>स्पष्टीकरण-</u> इस धारा के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं में नगरपालिका बाजार, बाजार विकास परियोजनाएं सम्पत्ति विकास परियोजनाओं और वाणिज्यिक प्रकृति की ऐसी अन्य परियोजनाएं जो नगरपालिका द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, सम्मिलित होंगी ।

उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष राजस्व लेखा और पूंजीलेखा में विभाजित किया जायेगा और प्राप्तियों और व्ययों की समस्त मदों को ऐसे राजस्व लेखा या, यथास्थिति पूंजीलेखा के अधीन समुचित रूप से रखा जायेगा ।

धारा 80: नगरपालिका निधि का उपयोग

नगरपालिका निधि में जमा धन का उपयोग किन कामों के लिए किया जाएगा:
इस अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी राशियों, शुल्कों (charges) और लागतों (costs) का भुगतान करने के लिए।
उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत नगरपालिका निधि से देय (payable) सभी

धारा -81. NP निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाता तब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो, परन्तु यह धारा निम्नलिखित संदाय पर लागू नहीं होता।

(क) कर और अन्य धन जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत हैं।

(ख) संविदा कर या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और निक्षेप में धारित धन और नगरपालिका द्वारा भूलवश संगृहीत।

(ग) राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए अस्थायी संदाय।

(च) खतरनाक रोगों के फैलने पर प्राकृतिक या प्रौद्योगिक खतरे के होने पर या किसी अन्य आवश्यक मामले में NP द्वारा विशेष उपायों पर उपगत व्यय।

(छ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय राशियां,

(ज) (i) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्यवाई करने में नगरपालिका के विफल होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, या

(iii) नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन, या

(iv) किसी दावे, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के समझौते के अधीन, या

(v) नगरपालिका की सम्पत्ति या मानव जीवन को हुए अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा तुरन्त कार्यवाई करने में उपगत व्यय के मद्धे या-

(vi) वेतन और मजदूरी के मद्धे,संदेय राशियां, और

(झ) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें उप-विधियों द्वारा अवधारित किया जाये।

धारा -82. लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थाई संदाय :-

- राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा पर नगरपालिका किसी भी समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी से ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की, जिसे राज्य सरकार ने लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों के रूप में घोषित किया हो और इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य के लिए नगरपालिक निधि में से संदाय की, जहाँ तक कि ऐसा संदाय नगरपालिका के निमित्त कार्य में किसी असम्यक हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता है, अपेक्षा कर सकेगी।
- इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत और ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनुपातिक स्थापना प्रभार राज्य सरकार द्वारा संदत्त किये जायेंगे और नगरपालिका निधि में जमा किये जायेंगे।

धारा -83. नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति :-

- इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर, नगरपालिका के मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक आस्तियों का सृजन करने और उनके रख - रखाव के लिए ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

धारा -84. विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग :-

- राज्य सरकार आदेश द्वारा नगरपालिका से नगरपालिक निधि के किसी विशिष्ट भाग को, या किसी विशिष्ट अनुदान या उसके भाग को, या किसी लेखाशीर्ष के अधीन प्राप्ति की किसी मद या उसके किसी प्रतिशत को या इस अधिनियम के अधीन प्राप्ति की किसी मद या उसके किसी प्रतिशत को या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को समनुदेशित करों शुल्कों और फीसों से भिन्न नगरपालिका द्वारा प्राप्त करके किसी अंश या उसके किसी भाग को नगरपालिका कृत्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, अनन्य रूप से उपयोग में लेने के लिए चिन्हित करने की अपेक्षा कर सकेगी और तद्नुसार कार्य करना नगरपालिका का कर्तव्य होगा।
- राज्य सरकार, उप-धारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न वर्गों की नगरपालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी।

> **धारा -85. लेखाओं का प्रचालन** :- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित हो।

धारा -86. अधिशेष धन का विनिधान : -

(1) नगरपालिका निधि के लेखा शीर्षों में से किसी में जमा अधिशेष धन, जिसकी नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या तो तुरंत ही या शीघ्र ही उपयोग में लिए जाने की आवश्यकता नहीं हो नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नगरपालिक निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में या तो पूर्णतः या भागतः अंतरित किये जा सकेंगे।

- नगरपालिका निधि के प्रतिनिधिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन नगरपालिक निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या लघु बचतों स्कीम में विनियोजित किया जा सकेगा या ऐसे अनुसूचित बैंक में,जो नगर पालिका द्वारा अवधारित किया जाये ब्याज पर जमा कराया जा सकेगा

(3) यथापूर्वोक्त विनिधान से उद्भूत लाभ या हानि, यदि कोई हो, उस खाते में, जिससे ऐसा लाभ या हानि संबंधित है, जमा या, यथास्थिति, विकलित किया जायेगा।

धारा -87. नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना

(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में पंद्रह जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा,बजट प्राक्कलन विभिन्न लेखा शीर्षों के संबंध में नगर पालिका की प्राप्त की जाने वाली आय और उपगत किए जाने वाले व्यय को पृथक-पृथक दर्शित करेगा।

(2) धारा 6 और धारा 79 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बजट प्राक्कलन विभिन्न लेखा शीर्षों के सम्बन्ध में नगरपालिका की प्राप्त की जाने वाली आय

अध्याय – 8

नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध

धारा 200: नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण

1. **नगरपालिका का नियंत्रण और सर्वेक्षण:**
- नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी मलनालियां (sewers), नालियां (drains), शौचालय, फ्लश शौचालय, घरों की नालियां और मलकूप (cesspools) पूरी तरह से नगरपालिका के **सर्वेक्षण और नियंत्रण** के अधीन होंगे।

2. **ढक्कन और वेंटिलेशन (संवातन) की व्यवस्था:**
- चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, सभी ढकी हुई मलनालियों, नालियों और मलकूपों पर नगरपालिका या उसके संबंधित मालिकों द्वारा **उचित जालियां, ढक्कन, या संवातन (Ventilation) के साधन** अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।

धारा 201 – नालियां आदि बनाने की शक्तियाँ

(1) किसी जल निकास स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए, किसी मार्ग या मार्ग के रूप में अभिन्यस्त या मार्ग के लिए आशयित किसी स्थान में होकर, उसके आर-पार या उसके नीचे से, अथवा किसी मार्ग के नीचे स्थित किसी गोदाम या तहखाने के नीचे से और स्वामी या अधिभोगी को लिखित रूप में युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् नगरपालिका के भीतर किसी भी भूमि में, उसमें से होकर या उसके नीचे से कोई नाली, मलनाली, नलिका, सुरंग, पुलिया, पाइप या जल मार्ग ले जाना, नगरपालिका के लिए विधिपूर्ण होगा।

(2) नगरपालिका या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई भी अधिकारी, ऐसी किसी भूमि पर जिस पर नगरपालिका में निहित कोई नाली पहले से ही बनी हुई है, प्रवेश कर सकेगा और विद्यमान नाली के स्थान पर नयी नाली बनवा सकेगा अथवा नगरपालिका में निहित किसी नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसी शक्ति के प्रयोग से नुकसान हुआ हो, नगरपालिका द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जो विवाद की दशा में धारा 295 में उपबंधित रीति से अभिनिश्चित और अवधारित किया जायेगा।

धारा-202. भवन से प्रभावी जल निकास (1) किसी भवन का निर्माण या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना या किसी नवनिर्मित या पुनर्निर्मित किये जाने वाले भवन को अधिभोग में लेना, तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक-

(क) ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की, ऐसी सतह पर और ऐसे ढलान की, जो ऐसे भवन से प्रभावी जल निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो, कोई नाली नहीं बनायी जाये,

(ख) ऐसे भवन और उससे अनुलग्न भूमि के लिए और उसमें, ऐसे सभी साधित्रों और फिटिंग्स की, जो नगरपालिका को उक्त भवन और उक्त भूमि के जल-निकास को एकत्र करने और ग्रहण करने और उसे दूर ले जाने और उक्त भवन और उससे संबंधित प्रत्येक शिरःस्थ जल की नाली को प्रभावी रीति से फ्लश करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों, व्यवस्था न कर दी गयी हो।

(2) पूर्वोक्त रीति से बनायी जाने वाली नाली, नगरपालिका की नाली में या ऐसे स्थान में, जो ऐसे भवन से पचास फुट से अधिक की दूरी पर स्थित न हो और जो जल निकास के निस्सारण के लिए विधिक रूप से नियत हो, गिरेगी किन्तु यदि ऐसी दूरी के भीतर ऐसी नाली या स्थान न हो तो ऐसी नाली ऐसे मलकूप में गिरेगी जिसके लिए नगरपालिका निदेश दे।

(3) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रसाधन कक्ष, रसोई और स्नानघर से अपशिष्ट जल के समुचित निस्सारण के लिए मल-वहन प्रणाली के क्षेत्र में, जैसे ही वह किसी अभिकरण द्वारा उस क्षेत्र में स्थापित की जाये, विहित रीति से संबंध प्राप्त करना किसी भी भवन या भूमि के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी के लिए आज्ञापक होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिये गये नगरपालिकाओं के निदेशों की अवज्ञा करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

धारा 203 - भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार :-

नगरपालिका के भीतर किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी अपनी नाली नगरपालिका की मल-नालियों में गिराने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह पहले नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और ऐसी शर्तों का पालन करे जो नगरपालिका वह ढंग, जिससे और अधीक्षण, जिसके अधीन उन नालियों, जो नगरपालिका में निहित नहीं हैं और उन नालियों, जो नगरपालिका में इस प्रकार निहित हैं, के बीच संचार को विहित करे।

धारा - 204 मल व वर्षा-जल की नालियों का पृथक-पृथक होना -

- जब कभी अधिनियम में यह उपबंधित हो कि किसी परिसर के प्रभावी जल - निकास के लिए कार्यवाही की जाए तो नगरपालिका यह अपेक्षा कर सकेगी की एक नाली क्लेदोत्पादक पदार्थ और मल के लिए हो और दूसरी नाली वर्षा-जल और अदूषित अधोभूमि-जल के लिए हो उनमें से प्रत्येक नाली नगरपालिका की पृथक-पृथक नालियों में या नगरपालिका द्वारा जल-निकास के निस्सारण के लिए अलग स्थानों में या अन्य उपयुक्त स्थानों पर गिरे।

<u>धारा 205 अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार :- नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा</u>

- यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की या उसके अधिभोग में या उपयोग में की किसी भूमि में होकर नाली बनाने से अन्यथा उसे नगरपालिका नाली से संसक्त नहीं कर सकता तो नगरपालिका ऐसे अन्य व्यक्ति को उस आवेदन के संबंध में कोई आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और यदि कोई आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये तो ऐसा आक्षेप न किया जाये और यदि कोई आक्षेप किया जाये तो ऐसा आक्षेप नगरपालिका की राय में अयथार्थ हो, लिखित आदेश द्वारा प्रथम वर्णित स्वामी या अधिभोगी को अपनी नाली उक्त भूमि में, उसमें से होकर, या उसके नीचे से या, यथास्थिति उक्त नाली में से ले जाने के लिए किराये या प्रतिकर के संदाय के विषय में और उक्त नाली के रख-रखाव, मरम्मत फ्लशिंग, सफाई और खाली करने के अपने अपने उत्तरदायित्वों को विषय में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो उसे पर्याप्त और न्यायानुकूल प्रतीत हो, ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में वह किया जाये या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किसी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के लिए, उक्त भूमि या नाली के स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट प्रतिकर या किराया यदि कोई हो, देने या निविदत्त करने के पश्चात् और उक्त आदेश की शर्तों को यथासम्भव अन्यथा पूरी करने पर और उक्त स्वामी या अधिभोगी को उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ किसी समय प्रवेश करने का युक्तियुक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् और इस अधिनियम के समस्त उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे सभी कार्य करने और ऐसी संक्रियाएं कार्य निष्पादित करने का पूर्ण प्राधिकार होगा –

> (क) नाली के संनिर्माण या उसे संसक्त करने के लिए, जैसा उक्त आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाये; या
> (ख) आदेश के निबन्धनों के अधीन उक्त नाली या उसके किसी भाग के रख-रखाव, मरम्मत, फ्लशिंग, उसकी सफाई या उसे खाली करने संबंधी उसके किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो।

<u>धारा 206 संकर्म किस प्रकार किया जाता है-</u>

(क) संकर्म को यथासाध्य अविलम्ब निष्पादित करवायेगा।

(ख) उक्त संकर्म को निष्पादित करने के लिए प्रयोजन के लिए भूमि या किसी भवन या अन्य संनिर्माण के खोले गए, तोड़े गये या हटाये गये किसी भाग को अपने खर्च से और यथासाध्य अविलम्ब भरेगा पुनः स्थापित करेगा और पूर्व दिशा में लायेगा।

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उक्त संकर्म के निष्पादन से नुकसान पहुंचे, प्रतिकार देगा।

<u>धारा - 207 जिस भूमि पर नाली ले जायी जाये उस पर पश्चात्‌वर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार :-</u>

- यदि ऐसी किसी भूमि का स्वामी, जिसमें जिस पर या जिसके नीचे से धारा 205 के अधीन कोई नाली उस समय ले जायी गई हो जब उस भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया था, किसी पश्चात्‌वर्ती समय पर उस भूमि पर कोई भवन निर्मित करना चाहे तो नगरपालिका, यदि वह ऐसे भवन निर्माण की मंजूरी देती है, उस भवन या भूमि के स्वामी अधिभोगी को, जिसके फायदे के लिए वह नाली बनायी गयी थी, उस नाली को बंद करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने के लिए तथा प्रस्तावित भवन का निर्माण या उसका सुरक्षित उपयोग निश्चित करने के लिए उस भूमि को ऐसी रीति से, जो नगरपालिका आवश्यक समझे भरने, पुनः स्थापित करने तथा पूर्व दिशा में लाने की अपेक्षा करते हुए लिखित नोटिस दे सकेगी।

<u>धारा 208: शौचालय, मूत्रालय और नलकूपों की व्यवस्था व नियम</u>

1. शौचालय/फ्लश शौचालय की व्यवस्था:

- यदि नगरपालिका को लगे, तो वह किसी भवन या भूमि पर नए शौचालय, नलकूप या अतिरिक्त शौचालय बनवाने का निर्देश दे सकती है। जहाँ फ्लश प्रणाली शुरू हो गई है, वहाँ पुराने शौचालयों की जगह फ्लश शौचालय लगाने या अतिरिक्त फ्लश शौचालय स्थापित करने के लिए कहा जा सकता है।

2. सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर निर्देश:

- नगरपालिका नोटिस देकर 20 से अधिक श्रमिकों को रखने वाले नियोक्ताओं, तथा बाजार, स्कूल, थिएटर या सार्वजनिक स्थानों के स्वामियों/प्रबंधकों से यह अपेक्षा कर सकती है कि वे निर्देशानुसार शौचालय-मूत्रालय बनवाएं, उनका रखरखाव करें और प्रतिदिन सफाई करवाएं।

3. शौचालय को ढंकना और बदलाव करना:

- नगरपालिका नोटिस देकर किसी शौचालय के स्वामी/अधिभोगी से कह सकती है कि वह उसे पड़ोसियों या मार्ग से आने-जाने वालों की नजरों से बचाने के लिए पर्याप्त छत, दीवार या घेरे से बंद करे। यदि कोई दरवाजा मार्ग की ओर खुलता है और न्यूसेंस (परेशानी) पैदा करता है, तो उसमें आवश्यक परिवर्तन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

4. विष्ठा बहाने पर प्रतिबंध:

- किसी भी व्यक्ति को अपने शौचालय से विष्ठा (मल), नगरपालिका की नाली या प्राइवेट नाली में बहाने की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय – 11

राजस्थान नगरपालिका

सामान का क्रय और अनुबंध नियम-1974

राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974 का नियम 1 इस संपूर्ण नियमावली के नाम, इसके लागू होने के क्षेत्र और इसके प्रभावी होने की तिथि का निर्धारण करता है।

नियम 1: संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (Short Title and Commencement)

यह नियम तीन मुख्य भागों में विभाजित है:

1. संक्षिप्त शीर्षक (Short Title)

इन नियमों का संक्षिप्त नाम "राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974" [Rajasthan Municipalities (Purchase of Materials and Contracts) Rules, 1974] है।

2. विस्तार और लागू होना (Extent & Application)

- यह नियम संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होते हैं।
- यह राजस्थान की सभी स्वायत्तशासी शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड) पर समान रूप से लागू होते हैं।

3. प्रारंभ (Commencement)

- यह नियम राजस्थान राज्य के राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी (प्रवृत्त) हुए थे।
- इन्हें 16 मार्च, 1975 को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) के भाग 4(ग) में प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद से यह लागू माने गए।

नियम 1 का व्यावहारिक महत्व

- वैधानिक आधार: यह नियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (तथा वर्तमान में संशोधित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009) की धाराओं के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं।
- समानता और एकरूपता: इस नियम के लागू होने से राज्य की सभी नगरपालिकाओं के लिए सामान खरीदने और ठेके देने की एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया का ढांचा तय हुआ।
- राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974 का नियम 2 इन नियमों में प्रयुक्त विशिष्ट तकनीकी और कानूनी शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है ताकि नियमावली के पालन में कोई भ्रम न रहे।

नियम 2: परिभाषाएँ (Definitions)

इस नियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया गया है:

1. "अधिनियम" (Act)

- 'अधिनियम' से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (तथा इसके स्थान पर लागू राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009) से है।

2. "बोर्ड" (Board)

- 'बोर्ड' से तात्पर्य अधिनियम के अधीन गठित किसी नगरपालिका बोर्ड (Municipal Board), नगर परिषद (Municipal Council) या नगर निगम (Municipal Corporation) से है।

3. "कार्यपालक अधिकारी / अधिशासी अधिकारी" (Executive Officer)

- इसमें नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी (EO), नगर परिषद का आयुक्त (Commissioner) तथा नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) या राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई अन्य अधिकारी शामिल है।

4. "सामग्री / सामान" (Materials / Goods)

- इसमें नगरपालिका के कार्यों एवं उपयोग हेतु खरीदी जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुएँ, उपकरण, मशीनरी, औजार, कच्चा माल, और अन्य सामग्री शामिल है।

5. "अनुबंध" (Contract)

- किसी कार्य के निष्पादन, सेवाओं के प्रावधान अथवा सामग्री की आपूर्ति के लिए नगरपालिका द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या ठेकेदार के साथ किया गया लिखित कानूनी समझौता।

6. "निविदा" (Tender)

- सामग्री की आपूर्ति या किसी कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की गई दरों या प्रस्तावों का औपचारिक आमंत्रण।

7. "क्रय अधिकारी" (Purchasing Officer)

- अधिनियम या नियमों के तहत सामग्री खरीदने या ठेका स्वीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारी।

नियम 2 का व्यावहारिक महत्व

- अधिकार क्षेत्र का निर्धारण: यह नियम स्पष्ट करता है कि कौन सा अधिकारी किस परिभाषा के अंतर्गत आता है और उसके पास क्या कानूनी शक्तियाँ हैं।
- समान व्याख्या: इन परिभाषाओं के कारण पूरे राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं में नियमों की व्याख्या एक समान रहती है।

नियम 3

राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974 का नियम 3 निविदा (Tender) आमंत्रित करने की अनिवार्य शर्तों और सीमाओं का निर्धारण करता है।

नियम 3: निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन (Purchase of Materials and Execution of Works by Tender)

नियम 3 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. निविदा आमंत्रण की अनिवार्य सीमाएँ (Monetary Thresholds)

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों या इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब भी नगरपालिका द्वारा कोई सामग्री खरीदी जाती है या कार्य करवाया जाता है, तो निविदाएं आमंत्रित करना अनिवार्य होता है:

- **सामग्री/सामान का क्रय (Purchase of Goods):** यदि सामग्री का अनुमानित मूल्य **₹1,000 से अधिक** हो, तो उसकी खरीद बिना निविदा आमंत्रित किए नहीं की जाएगी।
- **कार्य का निष्पादन (Execution of Work):** यदि किसी निर्माण/मरम्मत या अन्य कार्य का अनुमानित मूल्य **₹2,000 से अधिक** हो, तो उसे केवल निविदा के माध्यम से ही संपादित करवाया जाएगा।

2. पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता (Prior Administrative & Financial Sanction)

- किसी भी सामान को खरीदने या कार्य शुरू कराने की निविदा तभी जारी की जा सकती है, जब सक्षम प्राधिकारी (अधिशासी अधिकारी/आयुक्त/अध्यक्ष/बोर्ड/सरकार) से उसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (Administrative and Financial Sanction) प्राप्त हो चुकी हो।
- बजट में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध होना आवश्यक है।

3. निविदा समय सीमा में कटौती (Reduction in Notice Period)

सामान्यतः निविदाओं की समय-सीमा नियम 4 के अनुसार तय होती है, लेकिन विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में निविदा सूचना की समयावधि को कम (जैसे 24 घंटे की कटौती) किया जा सकता है:

- **जिला मुख्यालय की नगरपालिका हेतु:** संबंधित जिला कलेक्टर (District Collector) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा।
- **अन्य नगरपालिकाओं हेतु:** संबंधित उपखंड अधिकारी (SDM) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृति मिलने पर।

नियम 3 का महत्व

- **पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा:** यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो और सभी विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिले।
- **वित्तीय अनुशासन:** छोटी खरीदों को छोड़कर हर प्रमुख कार्य और खरीद को निविदा की वैधानिक प्रक्रिया के तहत लाता है।

राजस्थान नगरपालिका (सामान क्रय और अनुबंध) नियम 1974-

यह 'राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम 1974' की प्रमुख धाराओं, निविदा प्रक्रियाओं और परीक्षा उपयोगी पहलुओं को विस्तार से समझाता है।

नियम 4

राजस्थान नगरपालिका (सामान का क्रय और अनुबंध) नियम, 1974 का नियम 4 निविदा (Tender) आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाने वाली **निविदा सूचना की समय-सीमा (Notice Period)** निर्धारित करता है।

नियम 4: निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा (Time Limit for Inviting Tenders)

जब भी किसी सामग्री की खरीद या किसी कार्य के निष्पादन के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, तो निविदा सूचना के प्रकाशन और निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बीच पर्याप्त समय देना अनिवार्य है।

मूल नियमावली के अनुसार निविदाओं की अनुमानित लागत के आधार पर समय-सीमा निम्नलिखित है-

क्र. सं.	कार्य / सामग्री का अनुमानित मूल्य (₹ में)	निविदा सूचना की न्यूनतम अवधि (Notice Period)
1.	₹ 1,000 से ₹ 10,000 तक	7 दिन (1 सप्ताह)
2.	₹ 10,000 से अधिक और ₹ 1 लाख तक	10 दिन
3.	₹ 1 लाख से अधिक और ₹ 5 लाख तक	15 दिन (2 सप्ताह)
4.	₹ 5 लाख से अधिक	30 दिन (1 माह)

मुख्य विशेष बातें एवं अपवाद-

1. समय-सीमा की गणना (Calculation of Period)

निविदा सूचना का प्रकाशन **समाचार पत्र (Newspapers) या नगरपालिका के नोटिस बोर्ड** पर होने की तिथि से लेकर निविदा प्राप्त करने/खोलने की अंतिम तिथि तक के समय की गणना की जाती है।

2. आपातकालीन या विशेष परिस्थितियाँ (Emergency Provisions)

यदि किसी कार्य की तत्काल आवश्यकता है या सार्वजनिक हित में काम तुरंत कराया जाना है, तो नियम 3 के तहत गठित समिति (जिला कलेक्टर/SDM की अध्यक्षता वाली) की स्वीकृति से इस तय समय-सीमा को कम (Shorten) किया जा सकता है।

3. पुनः निविदा (Re-Tendering)

यदि प्रथम बार में कोई निविदा प्राप्त न हो या प्राप्त निविदाएँ निरस्त कर दी जाएँ, तो पुनः निविदा (Re-tender) आमंत्रित करने के लिए समय-सीमा को घटाकर **कम-से-कम 7 दिन** तक किया जा सकता है।

2. वित्त समिति

- अधिनियम की धारा 80 से 96, 98 से 100, 101, 104, 105, 108, 148, 150 और 296 के अधीन शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य।
- नगरपालिका में प्रस्तुत किए जाने हेतु बजट तैयार करना, विनियोग (Appropriation) और अन्य संबंधित वित्तीय मामले।
- कराधान (Taxation) और उसकी अपीलों से संबंधित मामले।
- करों की वसूली से जुड़े अन्य सभी कृत्य और शक्तियाँ।

3. भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति

- अधिनियम की धारा 75, 152, 153, 167 से 172, 177 से 197, 219, 220, 236 से 239, 243 से 246, 252, 253 एवं 287 से 290 के अंतर्गत शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य।
- भवन निर्माण और अन्य संकर्मों (Works) के लिए अनुमति/अनुज्ञा देने के प्रयोजनार्थ धारा 292, 293 और 294 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ और कर्तव्य।

4. स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति-

- अधिनियम की धारा 200, 201, 204 से 211, 214 से 218, 221, 222, 226 से 235, 242, 247 से 251, 254, 255, 257 से 271 तथा 273 से 283 के अंतर्गत शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य।
- स्वच्छता कार्यों के निष्पादन हेतु धारा 292, 293 व 294 के अधीन शक्तियाँ और कर्तव्य।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, उपद्रव/न्यूसेंस (Nuisance) को हटाने तथा उसका अभियोजन करने से संबंधित सभी मामले।

गंदी बस्ती सुधार समिति

- कच्ची बस्ती व गंदी बस्ती के विकास और पुनर्वास के लिए योजना बनाएगी तथा इन बस्तियों में विकास कार्य के लिए निधियों के आवंटन की सिफारिश करेगी।

नियम और उपविधियाँ समिति

- अधिनियम की धारा 303, 339 और 341 के अधीन शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य।
- न्यायालय संबंधी मामलों और अन्य वादकरणों, नियमों और उपविधियों के प्रारूप तैयार करने से संबंधित सभी मामले।

अपराधों का शमन और समझौता समिति

- अधिनियम की धारा 299 और 306 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी।
- अधिनियम की धारा 55 के तहत गठित अन्य समितियों के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो उसको नगरपालिका द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

<u>नियम – 5: विलोपन (Deleted – 28-01-2011 को)</u>

- विलोपन से पूर्व नियम 05 इस प्रकार था: "समिति के विनिश्चयों का अनुमोदन और क्रियान्वयन", जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे:

1. किसी भी समिति द्वारा किए गए सभी विनिश्चय (निर्णय) अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।
2. जब कोई भी विनिश्चय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाए, तो वह या तो उस विनिश्चय का अनुमोदन कर सकेगा या समिति को लौटा सकेगा या निर्देश दे सकेगा कि विनिश्चय नगरपालिका की आगामी सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिए नगरपालिका के समक्ष रखा जाए।
3. किसी समिति का कोई विनिश्चय (निर्णय) तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको अध्यक्ष या यथास्थिति नगरपालिका द्वारा अपनी साधारण बैठक में अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

<u>नियम – 6: निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and Saving)-</u>

- राजस्थान नगरपालिका (समितियों का गठन) नियम, 1996 इसके द्वारा निरसित (रद्द) किए जाते हैं।
- ऐसा निरसन, निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी विनिश्चय या कार्यवाही की विधिमान्यता या अविधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

अन्य समितियाँ भी गठित की जा सकेगी जो आवश्यक समझें

नगरीय निकाय	अधिकतम संख्या
नगर निगम के मामले में	8
नगर परिषद के मामले में	6
नगरपालिका के मामले में	4

नोट:

- राज्य सरकार चाहे तो इसमें वृद्धि भी कर सकती है।
- एक मनोनीत सदस्य को भी इस धारा के तहत गठित समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अध्याय – 14

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं

स्वच्छ भारत मिशन शहरी

- शुरुआत - 2 अक्टूबर 2014
- इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था।

मुख्य उद्देश्य:

- 2 oct 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित करना है।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना।
- देश के 4041 कस्बों में ठोस अपशिष्ट का शत प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन करना।

नोट- घरेलू शौचालय के निर्माण में लागत 20,000 अनुमानित की गयी जिसमे से लाभार्थी को 12,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जाती है तथा शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।

> सहायता राशि- राज्य सरकार(4,000 रुपये)
> भारत सरकार(4,000रुपये)
> नगर निकाय (4,000 रुपये)

निर्धारित लक्ष्य-

66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण
2.56 लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (SBM-Urban 2.0)-

शुरुआत-1 अक्टूबर 2021

इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 साल की अवधि (अक्टूबर 2026 तक) के लिए लॉन्च किया गया था।

वित्त राशि – केंद्र(60) : राज्य(40)

मुख्य उद्देश्य: सभी शहरों को कचरा मुक्त (Garbage-Free) बनाना और वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन करना।

इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।

लक्ष्य-

- **प्रभावी कचरा और प्रदूषण प्रबंधन:** यह मिशन स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण (Segregation), सिंगल-यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक, वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण और विध्वंस (C&D) कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा सभी पुराने डंपिंग साईट के बायोरेमेडिएशन (Bioremediation) पर विशेष रूप से केंद्रित है।
- **अपशिष्ट जल का उपचार और पुनर्चक्रण:** इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी गंदे पानी (अपशिष्ट जल) को बिना उपचारित किए जल स्रोतों में न छोड़ा जाए। साथ ही, सरकार जल के अधिकतम पुनरुपयोग (Reuse) को प्राथमिकता दे रही है
- SBM-U के दूसरे चरण का लक्ष्य ODF से आगे बढ़कर ODF+ और ODF++, तक जाना तथा शहरी भारत को कचरा-मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

> - 1 लाख से कम आबादी वाले शहर को ODF+तथा ODF++प्रमाणित किया जाता है।
> - कचरा मुक्त शहरों के लिए "राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन फ्रेमवर्क" का शुभारंभ किया गया है।

जून 2026 तक की प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धियां-

- **शहरी स्वच्छता का स्तर:**
  - देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4,692 शहरों को खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा मिल चुका है।
- इनमें से 4,314 से अधिक शहर 'ODF+' और लगभग 1,973 शहर उच्च श्रेणी वाले 'ODF++' के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं।
- इसके अलावा, जल शोधन और उसके दोबारा इस्तेमाल के कड़े मानकों को पूरा करते हुए 214 शहर 'Water+' प्रमाणित हो चुके हैं।
- **शौचालय निर्माण की प्रगति:** – इस अभियान के तहत देश भर में **63.74** लाख से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) और **6.36** लाख से अधिक सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय (CT/PT) सीटों का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है। यह निर्धारित लक्ष्य का क्रमशः 108.62% और 125.46% है।
- **कचरा प्रसंस्करण (Waste Processing):** भारत में शहरी ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण साल 2014 के मात्र 18% से बढ़कर अब वर्तमान में **81.20%** तक पहुँच चुका है।
- **घरेलू कचरा संग्रहण:** देश के लगभग 97% से अधिक शहरी वार्डों में शत-प्रतिशत (**100%**) डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की सुविधा लागू की जा चुकी है।
- **सफाईमित्र सुरक्षा:** सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई रोकने के लिए देश के **3,158** शहरों को **'सफाईमित्र सुरक्षित शहर'** घोषित किया जा चुका है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों का सम्मान

- **आयोजन विवरण:** 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष समारोह के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के विजेताओं को सम्मानित किया।
- यह शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का **नौवां संस्करण** था, जिसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न

1. कोई नगर पालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी?
(A) करार द्वारा
(B) विनिमय द्वारा
(C) पट्टा एवं अनुदान द्वारा
(D) उपरोक्त सभी ANS. (D)

2. नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौनसी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है ?
(A) धारा 69 A
(B) धारा 70
(C) धारा 23
(D) उपरोक्त सभी ANS. (A)

3. नगरपालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदाय का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है ?
(A) राज्य सरकार
(B) केन्द्र सरकार
(C) नगरपालिका
(D) A एवं B दोनों ANS. (C)

4. नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौनसी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है ?
(A) धारा 25
(B) धारा 17
(C) धारा 76
(D) धारा 69 ANS. (C)

5. नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है ?
(A) केन्द्र सरकार
(B) राज्य सरकार
(C) नगरपालिका
(D) स्थानीय प्रशासन ANS. (B)

6. अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगरपालिका के चुनाव सम्पन्न करवाते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा ऐसा नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है ?
(A) धारा 19
(B) धारा 18
(C) धारा 16
(D) धारा 17 ANS. (A)

7. कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है ?
(A) नगरपालिका अध्यक्ष
(B) नगरपालिका उपाध्यक्ष
(C) नगरपालिका मुख्य अधिकारी
(D) नेता प्रतिपक्ष ANS. (C)

8. नगरपालिका समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है ?
(A) समिति के कम से कम 1/2 सदस्यों की सहमति से
(B) समिति के कम से कम 1/3 सदस्यों की सहमति से
(C) नगरपालिका अध्यक्ष की सहमति से
(D) समिति के अध्यक्ष की सहमति से
ANS. (A)

9. नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है ।
(A) धारा 64
(B) धारा 65
(C) धारा 60
(D) धारा 66 ANS. (A)

10. अप्राधिकृत अस्थायी प्रकृति विकास का संक्षिप्त: हटाये जाने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?
(A) धारा 169
(B) धारा 170
(C) धारा 168
(D) धारा 167 ANS. (B)

11. भूखंड के उपविभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है ?
(A) धारा 175
(B) धारा 176
(C) धारा 177
(D) धारा 171 ANS. (D)

12. नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति संबंधी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है?
(A) धारा 179
(B) धारा 180
(C) धारा 181
(D) धारा 177 ANS. (B)

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

अध्याय – 1

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख 'राज्यपाल' होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

> संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न हैं –
> (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
> (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिशें

सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावधी हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

- वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश –

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

पुंछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पुंछी

सिफारिश –

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारित विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।

राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. पी.वी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पुंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।

अनुच्छेद 156 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल का उल्लेख किया गया है।
अर्थात राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।
- राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा) तो भी उसे वेतन पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।

NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे- अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हता ओके होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- अनुच्छेद 217 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है
- अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करे।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA- नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।
- राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  राज्यपाल 'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' व 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र- उदयपुर' का अध्यक्ष होता है
- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

2. विधायी शक्तियां -

- अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद तीनों शामिल होते हैं अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है।
- अनुच्छेद 171 के तहत जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।
- अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।
- अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित/ अभिभाषण कर सकता है। (विधानसभा के चुनाव पश्चात पहली बैठक तथा प्रत्येक

अध्याय – 4

उच्च न्यायालय

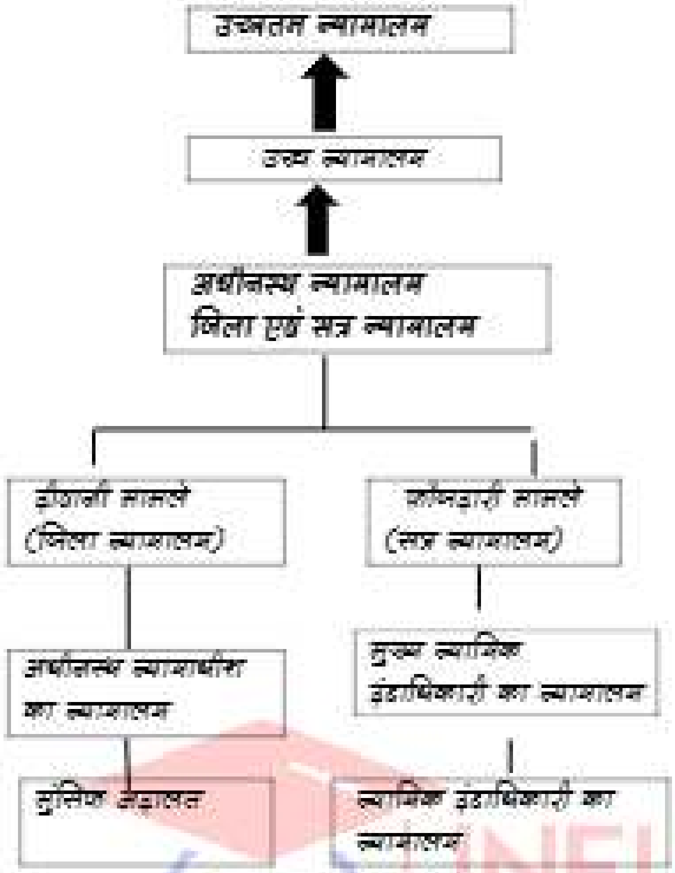

- भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ ।
- वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुई ।
- भारतीय संविधान के भाग -6 के **अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक** राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है ।
- **अनुच्छेद 214** के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना लेकिन **अनुच्छेद 231** के अन्तर्गत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है । (7 वें संविधान 1956 के तहत)
- **अनुच्छेद 230 के तहत्** संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है ।

  पहले भारत में 21 उच्च न्यायालय थे । मार्च 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।
- वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं । 25 वाँ उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश राज्य का जो 1 जनवरी, 2019 अमरावती में स्थापित हुआ है ।
- केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय (वर्ष 1966 से) है।
- **NOTE** : – जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू - कश्मीर राज्यों को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया । इससे पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में भी उच्च न्यायालय था लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद जम्मू - कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में समाविष्ट होगा ।
- <u>निम्न संयुक्त उच्च न्यायालय है</u>

(i) पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ : – चंडीगढ़ उच्च न्यायालय
(ii) महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादर एवं नागर हवेली- बॉम्बे उच्च न्यायालय
(iii) असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम : – गुवाहटी उच्च न्यायालय
(iv) तमिलनाडु, पुडुचेरी : – मद्रास उच्च न्यायालय
(v) केरल, लक्षद्वीप - एर्नाकुलम उच्च न्यायालय
(vi) प . बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह- कलकत्ता उच्च न्यायालय

गठन

अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है । जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे । संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है । राष्ट्रपति समय - समय पर आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं ।

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा, जब वह
- भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। या किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।

न्यायाधीशों की नियुक्त

- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है ।
- कॉलेजियम की अनुशंसा पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इस संदर्भ में पहल करते हैं ।
- इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम (भारत का मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) के पास नाम भेजे जाते हैं । यह कॉलेजियम राष्ट्रपति को इस सन्दर्भ में अनुशंसा करते हैं ।

NOTE: - 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा SC एवं HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन किया गया लेकिन SC ने इस संशोधन एवं अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।

<u>कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति</u>

- अनुच्छेद 223 के तहत जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है।

- **अतिरिक्त का प्रावधान केवल उच्च न्यायालय के लिए है। जबकि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में नहीं की जाती।**
- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(i) यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो। (ii) उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो। राष्ट्रपति उस परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के अलावा) अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तथा किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो।

NOTE: - हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के पश्चात पद पर नहीं रह सकता

अनुच्छेद 224 A (15वें संविधान संशोधन 1963) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उस उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं।
- वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है।

<u>शपथ ग्रहण</u>

अनुच्छेद 219 के तहत सभी न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दिलायी जाती है। **सभी न्यायाधीश पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं**

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश **तीसरी अनुसूची** के अनुसार शपथ ग्रहण करता है।

NOTE- अनुच्छेद 220 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं जहाँ उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी।

न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद भी नहीं दिया जाता है।

न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव लड़ सकते हैं।

उदाहरण के लिए- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विजय बहुगुणा किसी भी राज्य के पहले एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं।

<u>पदावधि</u>

संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन इस संबंध में चार प्रावधान किए गए हैं।

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु होती है। (15 वें संशोधन एक्ट 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई)

NOTE : - **114 वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान था लेकिन विधेयक पारित नहीं हुआ।**

2. राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है।
3. संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है।
4. उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वह पद छोड़ देता है।

<u>न्यायाधीशों को हटाना</u>

- संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए Removal शब्द काम में लिया गया है जिसका अर्थ है " पद से हटाना " जबकि राष्ट्रपति के लिए Impeachment शब्द काम में लिया गया है जिसका अर्थ है " महाभियोग "।
- हटाने के दो आधार " सिद्ध कदाचार " और " अक्षमता " है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है।
- प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन (इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में उपस्थित और मतदान

- 1972 में वह सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान से विधायक के रूप में चुने गए।

राजस्थान के मुख्य न्यायधीश

क्र.स.	मुख्य न्यायधीश	कार्यकाल
1.	न्यायमूर्ति कमलकांतवर्मा	29.08.49 - 24.01.50
2.	न्यायमूर्ति कैलाशवांचू	02.01.51 - 10.08.58
3.	न्यायमूर्ति सरजूप्रसाद	28.02.59 - 10.10.61
4.	न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत	11.10.61 - 31.05.63
5.	न्यायमूर्ति डी. एस. दवे	01.06.63 - 17.12.68
6.	न्यायमूर्ति डी. एल. भंडारी	18.12.68 - 15.12.69
7.	न्यायमूर्ति जे. नारायण	16.12.69 - 13.02.73
8.	न्यायमूर्ति वी. पी. बेरी	14.02.73 - 16.02.75
9.	न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल	17.02.75 - 05.11.75
10.	न्यायमूर्ति वी. पी. त्यागी	06.11.75 - 27.12.77
11.	न्यायमूर्ति सी. होनिमाह	27.04.78 - 22.09.78
12.	न्यायमूर्ति सी. एम. लोढ़ा	12.03.79 - 09.07.80
13.	न्यायमूर्ति के. डी. शर्मा	07.01.81 - 22.10.83
14.	न्यायमूर्ति पी. के. बनर्जी	23.10.83 - 30.09.85
15.	न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता	12.04.86 - 31.07.86
16.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा	01.09.86 - 22.05.89
17.	न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल	15.04.90 - 07.04.94
18.	न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल	12.04.94 - 03.03.95
19.	न्यायमूर्ति ए. पी. रावनी	04.04.95 - 10.09.96
20.	न्यायमूर्ति एम. जी. मुखर्जी	19.09.96 - 24.12.97
21.	न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल	22.01.99 - 14.03.2000
22.	न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन	29.05.2000 - 25.11.2001
23.	न्यायमूर्ति अरुणकुमार	02.12.01 - 02.10.02
24.	न्यायमूर्ति अनिलदेव सिंह	24.12.02 - 22.10.04
25.	न्यायमूर्ति एस. एन. झा	12.10.05 - 15.06.07
26.	न्यायमूर्ति जे. एम. पंचाल	16.09.07 - 11.11.07
27.	न्यायमूर्ति नारायण रॉय	05.01.08 - 31.01.09
28.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06.03.09 - 10.05.09
29.	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10.08.09 - 31.10.10
30.	न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	26.11.10 - 13.12.12
31.	न्यायमूर्ति अमिताव रॉय	02.01.13 - 05.08.14
32.	न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी	24.03.15 - 21.08.15
33.	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल	05.03.16 - 14.04.16
34.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14.05.16 - 17.02.17

B. **भू - राजस्व संग्रहण करना**

- गाँव में भू - राजस्व प्राप्त करने का मुख्य उत्तरदायित्व पटवारी का होता है ।
- पटवारी ही गाँव में एकत्रित किए गए भू - राजस्व को तहसील मुख्यालय के कोषागार में जमा करवाता है ।

C. **आपातकालीन सहायता**

- गाँव में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, तूफान, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, महामारी, टिड्डी दल का आक्रमण और फसलों का रोग लगने की स्थिति में पटवारी अपने अधीन आने वाले गाँवों में हुए नुकसान की जानकारी एवं सूचना हेतु तहसील कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

D. **राजस्व अभियानों का संचालन करना**

- राजस्थान में समय - समय पर राजस्व अभियानों का संचालन किया जाता है ।
- राजस्व अभियानों के समय गाँवों के राजस्व संबंधी रिकार्डों या अभिलेखों को अप टू डेट किया जाता है ।
- इन राजस्व अभियानों में ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाता है ।
- गाँवों में राजस्व अभियानों के सफल संचालन के लिए पटवारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।

E. **समग्र ग्रामीण विकास करना**

- गाँवों के समग्र विकास में पटवारी और ग्राम सेवक की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है ।
- गाँवों के विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना आदि के संचालन में पटवारी की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ।

F. **सरकार के विभिन्न कार्य करना**

- पटवारी के द्वारा समय - समय पर सरकार के विभिन्न कार्य किए जाते हैं ।
- पशु गणना करना, आर्थिक गणना करना, जनगणना करना और निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने में सहायता करना पटवारी का मुख्य दायित्व होता है ।

अध्याय - 6

स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था

पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग -4 (नीति - निर्देशक तत्व) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत (पंचायतीराज) की व्यवस्था की गई है ।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1952 को ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' चलाया गया फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी कर्मचारी (नौकरशाही) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा । 2 अक्टूबर, 1953 को ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' चलाया गया । इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य - ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे ।
- पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' व ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवन्त राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वांछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

क्र.सं.	वर्ष	समिति का नाम	प्रमुख सिफारिशें
1.	1957	बलवंत राय मेहता	• लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की । • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । I. जिला स्तर पर - जिला परिषद II. ब्लॉक (खण्ड) स्तर पर - पंचायत समिति III. ग्राम स्तर पर (सबसे निचला स्तर) - ग्राम पंचायत • जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की । • इन्होंने ब्लॉक / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।
2.	1977	अशोक मेहता	• पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए । i. जिला स्तर जिला परिषद ii.मण्डल स्तर पर पंचायत समिति • इस समिति ने ग्राम पंचायत (निम्न स्तर) को समाप्त करने की सिफारिश की । • इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की । • दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश । • पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की । • न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की ।
3.	1985	जी.वी.के. राव समिति	• पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए :- i. राज्य स्तर पर - राज्य परिषद ii. जिला स्तर पर - जिला परिषद iii. खण्ड स्तर पर- पंचायत समिति iv. ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत • इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की । • इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की । • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की । • इस समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को ' बिना जड़ की घास ' कहा । इस समिति को ' कार्ड समिति ' के नाम से भी जाना जाता है ।
4.	1986	एल.एम. सिंघवी	• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । • पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की • न्याय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया । • ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की तथा • ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा । • राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश
5.	1988	पी.के. थुंगन	• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । • पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश। • पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए । • जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । • इस समिति ने पंचायतीराज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की।
6.	1963	के. संथानम	
7.	1966	जी. रामचन्द्रन	
8.	1976	दया चौबे	
9.	1978	दांतेवाला	

अध्याय – 12

लोकनीति

- लोकनीति अथवा सार्वजनिक नीति (Public policy) वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन, लोकनीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिये लागू की गयी गतिविधियों का योग है।
- संक्षेप में – जनता की समस्याओं एवं मांगों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जो नीति बनाई जाती है वे लोक नीतियां कहलाती हैं।
- पीटर आई नाई ने कहा है कि "लोक नीति और प्रशासन राजनीति के जुड़वां बच्चे हैं"।
- लोकनीति की अवधारणा का प्रारंभ 1922 ई. में माना जाता है जब राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विचारक चार्ल्स मेरीयम ने सरकार की गतिविधियों को लोकनीति कहा।
- वर्ष 1937 ई. अमरीका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने लोकप्रशासन के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लोकनीति विषय को शामिल किया गया।
- सार्वजनिक नीति का अध्ययन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया जाता है। सार्वजनिक नीति सामान्यतया अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी एवं सामाजिक नीतियों जैसे सामान्य शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती है।
- हम सब अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में असंख्य सार्वजनिक नीतियों से अत्यन्त प्रभावित हैं। सार्वजनिक नीति की पहुँच व्यापक है, अत्यावश्यक से सामान्य तक।
- सार्वजनिक नीतियाँ आम प्रतिरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सकीय देखभाल एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, कराधान, महँगाई, विज्ञान और तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर से वृहत स्तर तक अनेक पक्षों के साथ व्यवहार करती हैं। इसका संबंध चाहे आन्तरिक घरेलू पक्षों से हो या बाह्य विदेशी मामलों से। घरेलू क्षेत्र में, सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर के किसी विशिष्ट गाँव पर ध्यान केन्द्रित कर सकती हैं या किसी विशिष्ट जाति या समुदाय से संबंधित हो सकती हैं।
- इसी तरह सार्वजनिक नीतियाँ स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार से संबंधित हो सकती हैं। सार्वजनिक नीति विदेशी मामले, शिक्षा, प्रतिरक्षा, कृषि, गृह निर्माण, शहरी विकास, सिंचाई आदि से जुड़ी हो सकती हैं।
- सार्वजनिक नीतियों का विस्तार अत्यन्त सामान्य पक्ष से लेकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष तक हो सकता है। इसमें किसी राष्ट्रीय नेता की स्मृति में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और इसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपये की मजदूरी देना भी सम्मिलित है।

लोकनीति की प्रकृति (Nature of democracy)

लोक नीति की प्रकृति मुख्यतः सरकारी है लेकिन गैर सरकारी संस्थाएं लोक नीति निर्माण (Public policy making) की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं

लोकनीति वैधानिक व बाध्यकारी होती है यह वास्तव में सरकार द्वारा किये जाने वाला कार्य है

लोक नीति के प्रकार (Types of public policy)

भारत में लोकनीतियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है-

विषय वस्तु के आधार पर-

विषय वस्तु के आधार पर लोकनीतियां के निम्न प्रकार की हो सकती है-

- आर्थिक
- सामाजिक
- राजनीतिक
- सुरक्षा संबंधी आदि

नीति की तकनीकी प्रकृति के आधार पर-

- तात्विक अथवा सारगत नीतियां
- नियंत्रक नीतियां
- वितरक नीतियां
- पुन वितरक नीतियां
- निर्माणकारी नीतियां

सार्वजनिक नीति की अवस्थाएँ (Stages of public policy)

(1) नीति निरूपण- सार्वजनिक नीति प्रक्रिया में पहली अवस्था नीति-निरूपण है। सार्वजनिक नीति क्रियाकलापों का प्रस्तावित अनुक्रम है जो सार्वजनिक मांगों एवं समस्याओं पर विचार करता है।

(2) नीति व्याख्या- नीति-निरूपण का कार्य पूरा होने के साथ ही नीति में तकनीकी शब्द व वाक्यांश सम्मिलित हो जाते हैं। उन पदों व वाक्यांशों की व्याख्या बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। उनके अन्यथा गलत अर्थ लगाने पर नीति व्यर्थ हो सकती है। अतः सरकारी कर्ता-धर्ताओं के लिए नीति की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है।

(3) नीति शिक्षा- सार्वजनिक नीति की अगली अवस्था नीति-शिक्षा है। सरकार, जनसंचार के विभिन्न साधनों से, अपने द्वारा बनायी नीति के बारे में जनसामान्य को अवगत कराने का प्रयास करती है। लोगों को नीति के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग इसकी पालना व आदर तभी करेंगे जब वे इसे समझ लेंगे।

(4) नीति क्रियान्वयन- नीति के निरूपण व व्याख्या करने के पश्चात् व जनसाधारण को इसके बारे में शिक्षित करने के पश्चात्, अगली अवस्था नीति को क्रियान्वित करने की होती है। यह भी एक कठिन अवस्था है क्योंकि जब तक नीतियों का उपयुक्त एवं सकारात्मक क्रियान्वयन नहीं होगा, नीतियों

के निरूपण पर समग्र श्रम करने का कोई लाभ नहीं होगा। क्रियान्वयन कार्य केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(5) **नीति नियन्त्रण-** नीति प्रक्रिया की अंतिम अवस्था विभिन्न कर्ताओं व अभिकरणों के द्वारा निरूपित एवं क्रियान्वित की गई सार्वजनिक नीतियों पर नियंत्रण की होती है। सार्वजनिक नीतियों पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना सरकार का कर्त्तव्य है ताकि वे उद्देश्य, जिनके लिए नीतियां बनाई गई थी, प्राप्त हो सकें और उनसे जनसाधारण यथोचित लाभान्वित हो सके। सार्वजनिक नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए उचित एवं उपयुक्त प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक नीति के अध्ययन का महत्त्व (Importance of public policy study)

- सार्वजनिक नीति की समग्र समझ के लिए, सार्वजनिक नीति परिवृत्तियों एवं पर्यावरणीय शक्तियों के मध्य के संयोजन का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीति के विभिन्न आयामों को समझने की घोर आवश्यकता है।
- वास्तव में आधुनिक विश्व में, सार्वजनिक नीतियां मानव जाति की नियति का निर्धारण करती हैं।
- मानव मात्र का कल्याण तथा आर्थिक उद्धार, सार्वजनिक नीति की निपुणता पर निर्भर है। यदि अकुशल नीतियाँ साल दर साल जारी रखीं गयी तो वे नीतियाँ लोगों के आर्थिक स्तर का ह्रास करने में योगदान देंगी। अकुशल नीतियों को छोड़ना ही होगा। सही लक्ष्यों के साथ सही सार्वजनिक नीतियों को अपनाना होता है।

लोक नीति निर्माण की विशेषताएं (Features of Public Policy Creation)

1. लोकहित पर आधारित।
2. सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता।
3. लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम।
4. दिशा निर्देश रेखांकित करना।
5. भविष्योन्मुख
6. विभिन्न निकायों व प्राधिकरणों का योगदान।

लोकनीति निर्माण के चरण (Steps for the development of democracy)

1. समस्या की पहचानना
2. समस्या के समाधान हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन
3. सबसे उत्तम विकल्प का चयन
4. नीतियों का क्रियान्वयन
5. लोकनीति क्रियान्वयन की देखरेख
6. मूल्यांकन

भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण (Agency for Policy Assessment in India)

1. संविधान
2. संसद
3. मंत्रिमंडल
4. संघीय अभिकरण-
   - नीति आयोग
   - राष्ट्रीय विकास परिषद्
   - वित्त आयोग
   - अन्तर्राज्य परिषद्
   - क्षेत्रीय परिषदें
5. न्यायपालिका
6. दबाव समूह
7. प्रेस
8. परामर्श समितियां
9. राजनीतिक दल

लोक नीति निर्माण व क्रियान्वयन के प्रतिमान / मॉडल / सिद्धान्त

कचरा - पात्र मॉडल :- इस मॉडल में समाधान को पहले सामने रखा जाता है, फिर समस्या को ढूंढा जाता है।

तर्क - चयन मॉडल:- इसे 'टेलर मॉडल' भी कहा जाता है। इस मॉडल में आर्थिक वृद्धि एवं वैज्ञानिकता के आधार पर लोक नीति का अध्ययन किया जाता है। समस्या की पूर्णतया पहचानना समस्या समाधान के संभावित विकल्प तलाशना उनकी लागत लाभ के आधार पर तुलना करना। अंतत सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना।

अभिजन वर्ग प्रतिमान:- इस मॉडल में प्रतिष्ठित वर्ग या विशिष्टजन लोगों के कल्याण (भाई - भतीजावाद) का अध्ययन किया जाता है।

संस्थानिक दृष्टिकोण :- इस मॉडल में लोक नीति निर्माण व क्रियान्वयन में औपचारिक संगठनों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है।

नव - संस्थानिक दृष्टिकोण :- इस मॉडल में केन्द्र सरकार के साथ - साथ राज्य सरकारों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है।

खेल सिद्धान्त:- इस मॉडल में खेल सिद्धान्तों जैसे दू - पर्सन समझौता, प्रिजनर्स डायलेमा गेम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

अभिवृद्धि मॉडल :- यह सबसे प्रचलित प्रतिमान है नीतियों का निर्माण एक बार ही होता दूसरी सरकार इसमें संशोधन करती है। यह मॉडल अविकसित व विकासशील देशों के लिए उपयुक्त है क्योंकि बार - बार नीति निर्माण से बचा जा सके।

समूह मॉडल:- इस मॉडल में विभिन्न समूहों की भागीदारी का अध्ययन किया जाता है।

मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान:- इसमें तार्किक व अभिवृद्धि दोनों प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में तार्किक प्रतिमान सामाजिक क्षेत्र में अभिवृद्धि प्रतिमान का प्रयोग

व्यवस्था प्रतिमान :- इसमें आगत या तो आंतरिक या बाहरी वातावरण से आता

अध्याय – 14

नागरिक अधिकार – पत्र (घोषणा पत्र)

नागरिक घोषणापत्र (Citizen Charter) के बारे में –

- नागरिक घोषणापत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुँच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है।
- यह पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है।
- यह सुशासन के तीन महत्त्वपूर्ण घटकों यथा- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- वर्ष 1992 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ सिटीजन चार्टर की इस अवधारणा को पेश किया। नागरिक चार्टर के सिद्धांत इस प्रकार थे:

a. गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
b. जहाँ भी संभव हो विकल्पों को बढ़ाना
c. मानक: मानकों की पूर्ति हेतु निर्देशन
d. करदाताओं के पैसे का मूल्य
e. व्यक्तिगत लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही

सिटीजन चार्टर के भाग

सरकारी नागरिक चार्टर के नियमों और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता तीन भागों से बनती है।

A. विभाग का विजन और मिशन स्टेटमेंट
B. आई.टी.आई द्वारा विभाग और सेवाओं को पूरा किया गया
C. नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व

भारत में नागरिक घोषणापत्र

- ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिये वर्ष 1991 में नागरिक घोषणापत्र लागू किया गया।
- भारत में वर्ष 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिये नागरिक घोषणापत्र लाने के प्रयास किये जाएँ।
- इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणापत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणापत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें आदर्श नागरिक घोषणापत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए।
- इसके अनुसार घोषणापत्र में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होने चाहिये:

1. विजन एवं मिशन का विवरण।
2. संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण।
3. संगठन से जुड़े ग्राहक समूहों का विवरण।
4. ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं का विवरण।
5. जन शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी।
6. चार्टर का सरल होना आवश्यक।

सेवा प्रदायगी में नागरिक घोषणापत्र की भूमिका

- सेवा प्रदायगी को बेहतर करना अर्थात् सार्वजनिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है।
- नागरिकों के प्रति अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही को सुनिश्चित कर प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होता है।
- नागरिकों को जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत के संबंध में कहाँ संपर्क करना है।
- कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दबाव एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है जिसका सीधा लाभ नागरिकों को प्राप्त होता है।
- नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य अंतराल को कम करने में सहायक होता है।

नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के उपाय –

(i) आदर्श नागरिक घोषणा पत्र संहिता का पालन किया जाए।
(ii) नागरिक घोषणा पत्र बनाते समय शोध और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाए।
(iii) नागरिक घोषणापत्र के निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं परामर्शी बनाने के लिये नागरिक समाज व मीडिया की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाए।
(iv) नागरिक घोषणापत्र का समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
(v) जन प्रतिक्रियाओं के आधार पर नागरिक घोषणापत्र में सुधार या परिवर्तन किया जाए।
(vi) नागरिक घोषणापत्र को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।

किसी सरकारी संस्थान की कार्य-संस्कृति को सुधारने में नागरिक घोषणापत्र निम्नलिखित प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है-

(i) सरकारी संस्थान के कर्मचारियों में नौकरी की अत्यधिक सुरक्षा (Job security) के चलते किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव का खतरा नहीं होता। इसीलिये वो प्रायः अपने काम के प्रति थोड़ा लापरवाह होते हैं। परंतु, यदि सरकारी संस्थाओं में नागरिक घोषणापत्र लागू कर दिया जाए तो कर्मचारियों के लिये समय रहते अपने लक्ष्य पूरे